

न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस -2" के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा गरियाबंद एवं धमतरी जिला में स्थित उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद क्षेत्रांतर्गत ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने बाबत समस्त पहलुओं की जाँच किया गया है किन्तु अन्य कोई विकल्प वनभूमि के न्यूनतम उपयोग एवं तकनीकी दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं पाया गया ।

प्रस्तावित वनभूमि रकबा 8.965 हे. के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं हैं। इस संबंध में की जा रही वन भूमि की मांग आवश्यक एवं न्यूनतम हैं।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी
(चिप्स) रायपुर, छत्तीसगढ़

उपनिदेशक,
उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व,
गरियाबंद (छत्तीसगढ़).



**अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो/जिम्मेदारों अधिकारियों एवं कर्मचारियों का
विवरण एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही**

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस -2" के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा गरियाबंद एवं धमतरी जिला में स्थित उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद क्षेत्रांतर्गत ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

अतः इस प्रस्ताव के अंतर्गत किसी प्रकार के अधिनियम उल्लंघन के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण निरंक है एवं उनके विरुद्ध किसी प्रकार के अधिनियम उल्लंघन की गयी कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

QSL
संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी
(चिप्स) रायपुर, छत्तीसगढ़

उपनिदेशक,
उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व,
गरियाबंद (छत्तीसगढ़).

